क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्रथम मंजिल, नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड,
कॉलेज रोड, पुलिस लाईन के सामने, नागौर–341001
Phone No. 01582-294353 Email-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः–राप्रनिम / आरओ–नागौर / PUB-130/1958 दिनांकः–29/3/22

पर्यावरणीय स्वीकृति Leather Manufacturing यूनिट हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै. हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 686 / 680 गांव–पांचवा तहसील–कुचामन एवं जिला–नागौर से सम्बंधित प्रस्तावित Leather Manufacturing यूनिट बाबत् प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, मै. हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज ने उक्त परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित), नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14 / 09 / 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैः–
   (1) कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर।
   (2) कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   (3) उपखण्ड कार्यालय, कुचामन सिटी।
   (4) तहसीलदार, कुचामन सिटी।
   (5) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन सिटी।
   (6) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   (7) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल–4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालना डूंगरी जयपुर।
   (8) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर राजस्थान।
   (9) कार्यालय ग्राम पचांयत, ग्राम पांचवा, तहसील–कुचामन एवं जिला–नागौर।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित लोक सुनवाई हेतु **प्रातः 11:00 बजे दिनांक 09 / 05 / 2022 (सोमवार) को भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) पांचवा, तहसील–कुचामन जिला नागौर** में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी